न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 138/2022 बउनवानी प्रताप सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर, स0मा0 पुत्र श्री रामसिंह राठौड, निवासी ग्राम व पोस्ट खण्डार तहसील खण्डार

GCMS No-2022/226

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
6.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित।

अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रार्थी के नाम से जारी डीडराईटर लाईसेन्स संख्या 03/2004 को प्रतिवर्ष नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों एवं अनुशंषा पत्रों के आधार पर आपके कार्यालय से नवीनीकरण किया गया है, उक्त लाईसेंस के जारी वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष नवीनीकरण के समय लगाये गये प्रार्थना पत्र व डीडराईटर लाईसेंस एवं अनुशंषा पत्रों सहित अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ.2(101)/सूकाअ/2022/1444 दिनांक 01.12.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.9.2022 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 164 दिनांक 16.9.2022 से अपीलान्ट को वर्ष 2007 से 2017 तक के अनुशंषा पत्रों की प्रमाणित प्रति हेतु 16/–रू जमा करवाने बाबत लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की आंशिक सूचना (अुनशंषा पत्रों) के लिए प्रतिलिपि शुल्क जमा नही करवाने के कारण उप पंजीयक खण्डार द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शुल्क जमा करवाकर उक्त सूचना उप पंजीयक ख[illegible] कार्यालय से प्राप्त करे। साथ ही डीडराईटर के अनुज्ञा पत्र संख्या 3/200[illegible] [illegible] पंजीयन अनुभाग से तलब की जाकर निर्णय प्रति के साथ अपीलान्ट निः[illegible] भिजवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख [illegible] जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:40:33 IST
Reason: SelfAttested